

**AMG-II (Non-PSU)/निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/04/2020-21**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** के माह **05/2019** से माह **06/2020** तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **11.07.2020** से **24.07.2020** तक श्री जे. एम. एस. रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

**भाग-1**

**1. परिचयात्मक:-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा मे माह 04/2018 से माह 04/2019 तक के लेखाभिलेखों का निरीक्षण किया गया था। इकाई की लेखापरीक्षा दिनांक 16/05/2019 से 28/05/2019 तक श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी।

**2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-** विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं विभाग की क्रियाकलाप संबंधी सूचनाएँ ।

**(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-**

*(धनराशि ` करोड़ में)*

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2018-19	2059	शून्य	शून्य	16.8692	16.6317	शून्य	शून्य	0.2375
2019-20	2059	शून्य	शून्य	0.5692	0.4162	शून्य	शून्य	0.153
2020-21 (up to 06/2020)	2059	शून्य	शून्य	0.9648	-	शून्य	शून्य	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों, केंद्रपोषित योजनाओं तथा एडीबी/वाहय सहायतित योजनाओं के माध्यम द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "अ" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., स्तर-I

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.

अधीक्षण अभियन्ता, (वृत्त स्तर)

अधिशाली अभियन्ता, लो.नि.वि. (खंडीय स्तर)

- (iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह 10/2019 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।
- (iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो 'अ'

प्रस्तर:-1 लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड राज्य की शीर्ष एवं अग्रणी निर्माण संस्था होने के बावजूद भण्डारी बाग फ्लाई ओवर (ROB) का कार्य एक अन्य कार्यदायी संस्था (EPIL) को सौंपा जाना एवं स्वीकृति के 8 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ न किया जा सकना जबकि लागत में रू0 122.63 लाख की बढ़ोत्तरी होना तथा साथ ही जनमानस को सुगम यातायात के लाभ से वंचित रखना।

जिला देहरादून के भण्डारी बाग में आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (प्रथम चरण) माह जनवरी 2013 में रू0 1218.83 लाख प्रदान की गयी थी। पुनः द्वितीय चरण हेतु माह जुलाई 2013 में रू0 3106.79 लाख एवं पुनः नवम्बर 2013 में लागत वृद्धि हेतु रू0 251.75 लाख कुल रू0 3358.54 लाख की धनराशि द्वितीय चरण हेतु प्रदान की गयी थी जबकि प्रथम चरण सहित कार्य हेतु कुल रू0 4577.37 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा माह 7/2020 में पाया गया कि यद्यपि शासन द्वारा कार्य की स्वीकृति माह जनवरी 2013 में प्रदान कर दी गयी थी किन्तु स्वीकृति के 08 वर्ष बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाच में उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित निम्न अनियमिततायें, नियोजन में कमी एवं लचर कार्य प्रणाली प्रकाश में आयी है :

1. लोक निर्माण विभाग स्वयं निर्माण क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की शीर्ष एवं अग्रणी निर्माण संस्था है जिसमें कुल 1570 अभियन्ता (प्रमुख/मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता) सहित समुचित संख्या में कार्यबल तैनात है इसके बावजूद यह कार्य एक दूसरी कार्यदायी संस्था Engineers Pojects (India) Ltd.(EPIL) को रू0 47.00 करोड़ का अनुबन्ध कर सौंप दिया गया जबकि EPIL द्वारा भी आगे ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जाता है।

2. दिनांक 29.03.2013 को कार्यदायी संस्था EPIL के साथ MOU गठित किया गया जिसमें उपरोक्त कार्य के साथ तीन अन्य कार्य (बल्लीवाला, बल्लूपुर एवं जोगीवाला फ्लाईओवर) भी सम्मिलित थे किन्तु EPIL की शिथिल कार्य पद्धति/प्रगति एवं बल्लूपुर एवं बल्लीवाला फ्लाई ओवर के कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य को 11 बार संशोधित किये जाने पर EPIL के साथ MOU (23.12.2016) को निरस्त कर दिया गया एवं कार्य लो0नि0वि0 द्वारा ही सम्पादित

कराये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी किन्तु दिनांक 27.09.2019 को शिथिल कार्य पद्धति वाली संस्था EPIL को पुनः कार्य सौंप दिया गया।

3. उपरोक्त कार्य भण्डारी बाग फ्लाई ओवर ROB (Rail over Bridge) या RUB (Rail Under Bridge) बनाया जाना है यह विभाग को स्वीकृति के 6 वर्ष तक भी स्पष्ट नहीं था। जनवरी 2013 में प्रशासकीय स्वीकृति ROB हेतु प्रदान की गयी किन्तु प्रथम एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति (जुलाई 2013, नवम्बर 2013) में RUB बताया गया. माह मार्च 2019 में जाकर स्पष्ट किया गया कि ROB निर्मित किया जाना है।

4. स्वयं कार्यदायी होने के बावजूद रू0 47.00 करोड़ के अनुबन्ध पर 6.66 प्रतिशत सेंटेज चार्ज अर्थात् 3.13 करोड़ भुगतान किया जाना है जबकि EPIL द्वारा भी आगे किसी ठेकेदार को कार्य Sublet किया जाना है यदि PWD द्वारा स्वयं कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी ली जाती तो एक ओर 3.00 करोड़ की बचत होती साथ ही निविदा आमंत्रण करने पर प्रतिस्पर्धात्मक दरे आने की सम्भावना भी रहती।

5. यद्यपि कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति माह जनवरी 2013 में ही प्रदान कर दी गयी थी एवं प्रथम MOU दिनांक 29.03.2013 को कर दिया गया था (जो दिनांक 23.12.2016 को निरस्त कर दिया गया था) पुनः EPIL के साथ अनुबन्ध दिनांक 27.09.2019 को हस्ताक्षरित किया गया था किन्तु प्राविधिक स्वीकृति अभी तक अप्राप्त थी।

6. कार्य की द्वितीय चरण की लागत रू0 3106.79 लाख (जुलाई 2013) थी किन्तु कार्य प्रारम्भ न होने के कारण नवम्बर 2013 में लागत बढ़ने के कारण रू0 3358.54 पर पुनरीक्षित करना पड़ा वास्तुस्थिति यह थी कि स्वीकृति के 8 वर्ष व्यतीत होने के बाद एवं दो बार MOU/Agreement होने के बाद भी Site Clearance and Implementation of resettlement Plan जैसे प्रारम्भिक कार्य भी नहीं किये जा सके थे जबकि दरों में लगातार वृद्धि हो रही थी साथ ही EPIL के साथ अनुबन्ध (27.09.2019) के अनुसार माइलस्टोन की शर्तों का पालन कर अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा शासन की स्वीकृति से MOU किया जाना बतलाया गया, विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि EPIL के साथ गठित MOU को निरस्त करते समय (23.12.2016) शासन ने स्पष्ट किया था कि उक्त कार्य का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा किन्तु 02 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लो0नि0वि0 द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गयी अन्ततोगत्वा वर्ष 2019 में शासन द्वारा EPIL को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया।

अतः विभाग द्वारा नियोजन एवं अनुश्रवण की कमी एवं शिथिल कार्य पद्धति के कारण 8 वर्ष पूर्व स्वीकृत कार्य दरों में वृद्धि के कारण स्वीकृत धनराशि (रु० 1218.83 + 3358.54=रु० 4577.37 लाख) के कार्य हेतु कुल रु० 4700.00 लाख का अनुबन्ध किया गया जिससे कार्य की लागत में रु० 122.63 लाख की बढ़ोत्तरी हुई तथा साथ ही जनमानस को रेलवे क्रासिंग पर फ्लाइओवर न होने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रही एवं यातायात के सुगम आवागमन से वंचित रहे।

## भाग—दो 'ब'

प्रस्तर :1—निर्माण कार्यों की प्रभावी गुणवत्ता जांच में शिथिलता बरतने से शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहना।

निर्माणाधीन कार्यों में मानक अनुसार सर्वोच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस.क्यू.एम.) उपलब्ध न होने व नेशनल क्वालिटी मानीटर (एन.क्यू.एम.)/ स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस.क्यू.एम.) के द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं परिणामों की समीक्षा करने पर पाया गया था कि प्रचलित व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी नहीं है और प्रचलित कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी जिनका शीघ्र निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक था। अतः शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि मोटर मार्ग/सेतु निर्माण के कार्यों में सर्वोच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित कार्यों की प्रभावी जांच, कार्य का मौके पर प्रभावी पर्यवेक्षण तथा शिथिलता बरतने वाले कार्मिक/टेकेदारों के उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी किया जाय, इस दृष्टि से उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या: 3242/111(2)/14/लो.नि.वि./2014 दिनांक : 26 मई 2014 तथा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या: 4807/111(2)/14/लो.नि.वि./2014 दिनांक : 29 अगस्त 2014 में प्राविधानित किया गया था कि—

(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ द्वारा लोक निर्माण विभाग, ए.डी.बी. एवं विश्व बैंक पोषित सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु एक नोडल इकाई के रूप में कार्य किया जायेगा।

(2) मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र/वृत्त के यथासंभव निकटवर्ती क्षेत्रों में ही गुणवत्ता की चेकिंग हेतु कार्यप्रमुख सचिव, लो.नि.वि. के अनुमोदन उपरान्त, प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. द्वारा आवंटित किए जायेंगे।

(3) प्रति माह मुख्य अभियन्ताओं को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत चार कार्य एक साथ ही आवंटित किए जायेंगे जिनकी वह एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध करायेंगे।

प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष कार्यालय के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि वर्ष 2019—20 में मुख्य अभियन्ता जांचकर्ता अधिकारी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु 144 आवंटित कार्यों के सापेक्ष मात्र 102 कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित

क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) को प्राप्त हुई थी तथा 42 कार्य की वर्ष 2019-20 की जांच रिपोर्ट आतिथि तक लम्बित थी जिसमें से मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा को आबंटित कुल 27 कार्यों के सापेक्ष मात्र 22 कार्य की जांच रिपोर्ट, मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी को आबंटित कुल 28 कार्यों के सापेक्ष 27 कार्य की जांच रिपोर्ट, मुख्य अभियन्ता देहरादून को आबंटित कुल 14 कार्यों के सापेक्ष 13 कार्य की जांच रिपोर्ट, मुख्य अभियन्ता पौड़ी को आबंटित कुल 11 कार्यों के सापेक्ष 7 कार्य की जांच रिपोर्ट, मुख्य अभियन्ता रा0मा0 देहरादून को आबंटित कुल 16 कार्यों के सापेक्ष 5 कार्य की जांच रिपोर्ट, मुख्य अभियन्ता ए0डी0बी0 देहरादून को आबंटित कुल 14 कार्यों के सापेक्ष 4 कार्य की जांच रिपोर्ट तथा मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक देहरादून को आबंटित कुल 16 कार्यों के सापेक्ष 6 कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्राप्त हुई थी। जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध कराना था। इस प्रकार मुख्य अभियन्ता स्तर पर आबंटित जांच कार्यों के सापेक्ष कम जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता जांचकर्ता अधिकारी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु 363 आवंटित कार्यों के सापेक्ष मात्र 273 कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) को प्राप्त हुई थी तथा 90 कार्य की वर्ष 2019-20 की जांच रिपोर्ट लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी। जिसमें से अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त, लो.नि.वि. देहरादू को आबंटित कुल 11 कार्यों के सापेक्ष मात्र 4 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो.नि.वि. हरिद्वार को आबंटित कुल 28 कार्यों के सापेक्ष शून्य कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त, लो.नि.वि. उत्तरकाशी को आबंटित कुल 16 कार्यों के सापेक्ष मात्र 12 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता 12<sup>th</sup> वृत्त, लो.नि.वि. पौड़ी को आबंटित कुल 25 कार्यों के सापेक्ष मात्र 20 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता 8<sup>th</sup> वृत्त, लो.नि.वि. टिहरी को आबंटित कुल 21 कार्यों के सापेक्ष 19 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता सप्तम् वृत्त, लो.नि.वि. गोपेश्वर को आबंटित कुल 39 कार्यों के सापेक्ष मात्र 29 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त, लो.नि.वि. देहरादून को आबंटित कुल 27 कार्यों के सापेक्ष 24 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि. बागेश्वर को आबंटित कुल 12 कार्यों के सापेक्ष 10 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. नैनीताल को आबंटित कुल 13 कार्यों के सापेक्ष 12 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त, लो.नि.वि. हल्द्वानी को आबंटित कुल 26 कार्यों के सापेक्ष 11 कार्य की जांच रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि. पिथौरागढ को आबंटित कुल 17 कार्यों के सापेक्ष 13 कार्य की जांच रिपोर्ट तथा अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि. उधमसिंह नगर को आबंटित कुल 19 कार्यों के सापेक्ष मात्र 11 कार्य की जांच रिपोर्ट ही प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) को प्राप्त हुई थी जबकि उक्त शासनादेश

के अनुसार एक माह के अन्तर्गत ही जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध कराना था। इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर आबंटित जांच कार्यों के सापेक्ष भी कम जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर ईकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि वर्ष 2019-20 में मुख्य अभियन्ताओं को आबंटित 144 कार्यों के सापेक्ष आतिथि तक 105 कार्यों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है 39 लम्बित जांच कार्यों की जांच किये जाने हेतु विभिन्न मुख्य अभियन्ताओं को पत्रों के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। 2019-20 में अधीक्षण अभियन्ताओं को आबंटित 363 कार्य आबंटित हुये थे जिसके सापेक्ष 272 कार्यों की जांच आख्यायें प्राप्त हुई है लम्बित जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को लिखा गया है। ईकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार एक माह के अन्तर्गत ही जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध कराना था।

अतः निर्माण कार्यों की प्रभावी गुणवत्ता जांच में शिथिलता बरतने से शासनादेश के मूल उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।



## भाग-II (ब)

**प्रस्तर -2 : विभागीय नियोजन एवं अनुश्रवण की कमी के कारण वित्तीय स्वीकृति के 52 माह बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना। ।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के विकास खंड धौलादेवी में गुरुड़ाबाज से काने तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (मार्ग लंबाई 5.00 किमी ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 286.00 लाख की प्रदान की गयी (जनवरी 2016) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति आंशिक तौर पर उक्त लंबाई हेतु ही रु 232.80 लाख की प्रदान की गयी (जून 2016)।

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0 नि0वि0, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त मार्ग पर रु 13.19 लाख के व्यय के साथ मात्र 03 किमी में आंशिक रूप से कार्य पूर्ण किया गया था जबकि 02 किमी का कार्य काफी लंबे समय से अपूर्ण एवं बंद था। पुनः उत्तराखण्ड शासन (मुख्य सचिव) द्वारा अपने पत्रांक स0 443/मू0अ0-नि0 स0/2019 दिनांकित 15 जुलाई 2019 द्वारा विभाग को उक्त कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुये विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को कार्य अतिशीघ्र कराये जाने हेतु आदेश पारित किए गए जिसके फलस्वरूप अवशेष कार्यों हेतु एक अनुबंध (34/एसई-01/19-20 दिनांकित 19.03.2020 ) रु 125.35 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 18.03.2021 थी। अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि पूर्व में गठित अनुबंध अनुबंध के अनुसार कार्य के समाप्ती की अंतिम तिथि 28.11.2017 थी जबकि कार्य पूरा न करने हेतु ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही 19 माह बाद (अगस्त 2019) की गयी जबकि उक्त कार्य वर्तमान तक भी अपूर्ण था। पुनः अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त मार्ग के कार्य में न केवल रु 286.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष मात्र 148.00 लाख की ही निविदा आमंत्रित की गयी (पूर्व में इस कार्य मात्र रु 13.19 लाख का ही व्यय किया गया था) अपितु अवशेष कार्य हेतु अनुबंध भी पुराने अनुबंध के निरस्तीकरण के 07 माह बाद गठित की गयी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार्य करते हुये उत्तर में बताया गया कि कार्य पूर्ण किए जाने हेतु ठेकेदार से विभिन्न स्तरों पर पत्राचार किए गए तथा वर्तमान में गठित अनुबंध की लागत रु 148.00 लाख ही है।

अतः उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि विभाग की शिथिलता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण न केवल पूर्व में गठित अनुबंध के ठेकेदार के सापेक्ष कार्यवाही करने में न केवल विलंब हुआ अपितु वर्तमान के अनुबंध गठित करने में देरी की गयी। इसके उपरांत भी मात्र रु 161.19 लाख के ही कार्य प्रगति में थे तथा अवशेष कार्य कराये जाने बाकी थे, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-3 बिना स्वीकृति प्राप्त किये अतिरिक्त कार्य का निष्पादन कराये जाने से भुगतान करने में बिलम्ब के कारण ठेकेदारों को रू0 26.94 लाख ब्याज एवं वाद व्यय का भुगतान किया जाना।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के आर्बिट्रेशन अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में देखा गया कि विभाग द्वारा ठेकेदार को समय से भुगतान न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की गयी थी जिसमें पाया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा कुम्भ मेला 2010 के अंतर्गत मुनीकीरेती में गंगा नदी पर 2 नग अस्थाई पाटून पुलों के निर्माण हेतु ₹136.64 लाख की स्वीकृति जून 2009 में प्रदान की गयी थी जिसके निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता, आठवाँ वृत्त, टिहरी द्वारा एक अनुबंध संख्या - 30/एस<sup>0</sup>ई<sup>0</sup>-08/2009 दिनांक - 11.09.2009 लागत ₹64,52,220.00 का गठन मैसर्स हिलवेज इंजीनियरिंग कंपनी, ऋषिकेश के साथ किया गया तथा दूसरा अनुबंध संख्या - 31/एस<sup>0</sup>ई<sup>0</sup>-08/2009 दिनांक - 11.09.2009 लागत ₹64,46,190.72 का गठन मैसर्स कैलाश बिल्डर्स, ऋषिकेश के साथ किया गया था। अनुबंधित मदों के अनुसार कार्य माह 12/2009 में पूर्ण कर लिया गया था तथा सेतु का निर्माण 10500 क्यूसेक जलप्रवाह के अनुसार कराया गया था। मेलाधिकारी, कुम्भ मेला 2010 द्वारा अपने पत्र दिनांक - 19.01.2010 के माध्यम से विभाग को उक्त सेतु को 18000 क्यूसेक जलप्रवाह के अनुसार सुदृढीकृत करने के निर्देश दिये गए थे। उपरोक्त के अनुपालन में विभाग द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति की प्रत्याशा में मैसर्स हिलवेज इंजीनियरिंग कंपनी, ऋषिकेश तथा मैसर्स कैलाश बिल्डर्स, ऋषिकेश के नाम पूर्व में गठित उक्त अनुबंधों के अंतर्गत ही कार्य को पूर्ण कराया गया था।

आगे जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा अनुबंध समाप्त होने के पश्चात भी ठेकेदार का भुगतान न किए जाने के कारण निर्माणदायी फर्म मैसर्स कैलाश बिल्डर्स, ऋषिकेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने हेतु याचिका दाखिल की गयी थी दायर वाद पर निर्णय के अनुसार माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से विभाग द्वारा ठेकेदार को समय से भुगतान न किए जाने एवं आर्बिट्रेटर न नियुक्त किए जाने के कारण उक्त मामले के निपटान हेतु श्री एस0के0 रतूड़ी सेवानिवृत्त जिला जज देहरादून को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया था मा0 आर्बिट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड के आदेश के अनुसार फर्म को मूल धन के साथ 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 18 प्रतिशत आर्बिट्रेशन मूल्य का वाद व्यय करने के आदेश दिये गये। जिसके अनुसार माह 8/2016 तक मै0 कैलाश बिल्डर्स को कुल देय धनराशि रू0 2373501.00 (मूलधन रू0 1249211.00 + ब्याज रू0 899432.00 + वाद व्यय रू0 224858.00) हो गया था।

कुम्भ मेला 2010 में मुनी की रेती में 2 नग अस्थायी पाटून पुलों के निर्माण में बिना स्वीकृत कराये गये उक्त अतिरिक्त कार्यों के भुगतान की स्वीकृति रू0 26.63 लाख की भुगतान हेतु हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के पी<sup>0</sup>एल<sup>0</sup>ए<sup>0</sup> में उपलब्ध गत कुम्भ मेला 2010 की रखी गयी धनराशि से व्यय किया जायेगा के अनुसार शासनादेश संख्या:

1804/IV(3)2016-31 (कुम्भ)/2010 दिनांक 05 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रदान की गयी। तत्पश्चात उक्त कार्य के बकाया मूलधन का भुगतान मै0 हिलवेज कंस्ट्रक्शन कम्पनी को रू0 1413671.00 बैंक ड्राफ्ट सं0 588625 दिनांक 21.01.2017 एवं मै0 कैलाश बिल्डर्स को रू0 1249211.00 बैंक ड्राफ्ट सं0 588624 दिनांक 21.01.2017 द्वारा किया गया।

भुगतान समय से न होने के कारण उक्त फर्मों द्वारा सोल आर्बिट्रेशन देहरादून एवं जिला जज टिहरी के न्यायालय में मूलराशि के भुगतान के साथ-साथ अप्रैल 2010 से भुगतान की तिथि तक मय ब्याज एवं वाद व्यय सहित भुगतान करने हेतु विभाग के विरुद्ध वाद दायर किये थे जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वादी द्वारा मांग की गयी धनराशि पर अप्रैल 2010 से भुगतान की तिथि तक वार्षिक ब्याज एवं वाद व्यय सहित भुगतान किया जाय। मा0 न्यायालय के निर्णय को मध्य नजर रखते हुये अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कार्यालय नरेन्द्रनगर द्वारा दोनों ठेकेदारों को कुल रू0 2524475.00 ब्याज के रूप में तथा कुल रू0 170000.00 वाद व्यय के रूप में किया गया। इस प्रकार ब्याज एवं वाद व्यय के रूप में कुल रू0 2694475.00 का भुगतान दोनों ठेकेदारों को किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि कार्य का पुनरीक्षित आगणन अतिरिक्त सुदृढीकरण कार्य को सम्मिलित करते हुये मेलाधिकारी को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करा दिया गया था किन्तु पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण ठेकेदारों को समय से भुगतान न किया जा सका, दोनों ठेकेदारों को कुल रू0 2524475.00 का ब्याज भुगतान एवं कुल रू0 170000.00 का वाद व्यय का भुगतान किया गया। अन्य कार्यों की बचत से ब्याज की धनराशि का भुगतान किया गया। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि कार्य का निष्पादन बिना पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किये ही किया गया फलस्वरूप भुगतान में बिलम्ब से दोनों ठेकेदारों को देय ब्याज एवं वाद व्यय की धनराशि रू0 26.94 लाख का भुगतान किया गया।

अतः बिना स्वीकृति प्राप्त किये अतिरिक्त कार्य का निष्पादन कराये जाने से भुगतान करने में बिलम्ब के कारण ठेकेदारों को रू0 26.94 लाख ब्याज एवं वाद व्यय का भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग- 2(ब)

प्रस्तर: (4) - गलत वेतन निर्धारण के कारण 13 अधिकारियों को अधिक वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना, जिसमें से चार अधिकारियों को कुल धनराशि ₹4.80 लाख के वेतन का अधिक भुगतान किया जाना एवं 09 अधिकारियों के भुगतान संबंधी सभी अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इनको अधिक भुगतान किए गए वेतन की गणना नहीं किया जा सकता।

कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के अभिलेखों (सेवापुस्तिका एवं वेतन बिल पंजिका) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग में कार्यरत 13 अधिकारियों का वेतन निर्धारण गलत निर्धारित कर वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। इन अधिकारियों में से 04 अधिकारियों के भुगतान संबंधी अभिलेख/साक्ष्य कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इन 04 अधिकारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो की धनराशि की गणना भी की गई। इन अधिकारियों के वेतन निर्धारण का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

**श्री हरिओम शर्मा/प्रभारी प्रमुख अभियंता-** प्रभारी प्रमुख अभियंता की सेवापुस्तिका की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 7वें वेतनमान में (उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के अनुसार) दिनांक 01.01.2016 से कार्यालय द्वारा इनका जो वेतन निर्धारण किया गया, वह गलत निर्धारित किया गया। कार्यालय द्वारा उक्त तिथि को इनका मूलवेतन रु 125800 निर्धारित किया गया, जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन रु 123100 होना चाहिए था।

उक्त के क्रम में दिनांक 07.01.2016 को इनकी पदोन्नति पर (रु 8700 ग्रेड वेतन से रु 8900 ग्रेड वेतन में) कार्यालय द्वारा पुनः इनका वेतन निर्धारित किया गया और इस बार उक्त तिथि (07.01.2016) को इनका मूलवेतन रु 135000 निर्धारित किया गया जो कि लेखापरीक्षा जांच में पुनः गलत पाया गया। लेखापरीक्षा के अनुसार इस तिथि (07.01.2016) को इनका मूलवेतन रु 131100 होना निर्धारित होना चाहिए था।

उपरोक्त की वजह से ही इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी इनका मूलवेतन गलत निर्धारित किया गया। इन तिथियों को कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन निम्ननुसार निर्धारित किया गया- 01.01.2017 को =139100, 01.01.2018 को =143300, 01.01.2019 को =147600 एवं 01.01.2020 को =152000 जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथियों को इनका मूलवेतन निम्ननुसार होना चाहिए था- 01.01.2017 को =135000, 01.01.2018 को =139100, 01.01.2019 को =143300 एवं 01.01.2020 को =147600।

इसी क्रम में दिनांक 23.04.2020 को पुनः इनकी पदोन्नति हुई (लेवल 13क से लेवल 15 में)। और उपरोक्त की वजह से एक बार पुनः इनका वेतन गलत निर्धारित किया गया। इस बार इस तिथि

(23.04.2020) को कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन 157600 निर्धारित किया गया जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इस तिथि को इनका मूलवेतन 153000 होना चाहिए था।

उपरोक्त वेतन निर्धारण के पश्चात इनको वेतन एवं भत्तो का भुगतान भी इसी के अनुसार किया गया, जिसकी वजय से इन्हे दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2020 तक कुल धनराशि ₹243673के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान किया गया। (अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।)

(1) श्री राजेंद्र प्रसाद जोशी/सहायक अभियंता,(2) उपेंद्र सिंह रावत/अधिकासी अभियंता (3) योगेश्वर प्रसाद जोशी/सहायक अभियंता(4) श्री भुवन चन्द्र पन्त/अधिकासी अभियन्ता (5) श्री दिनेश चन्द्र वर्मा/सहायक अभियन्ता (6) श्री विनोद प्रसाद डोबरियाल/सहायक अभियन्ता (7) श्री सुदर्शन सिंह रावत/सहायक अभियन्ता (8) श्री सतवीर सिंह/अधिकासी अभियन्ता (9) श्री अलीम अखतर/अधिकासी अभियंता (10) श्री अनिरुध सिंह भण्डारी/अधिकाषण अभियन्ता (11) श्री प्रभु लाल डोभाल/सहायक अभियन्ता:-

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10 (3) के अनुसार- ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उपरोक्त सभी (11)अधिकारियों की सेवापुस्तिकाओं की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.10.2017 को इनसभी अधिकारियों का ग्रेड वेतन 7600 (7<sup>व</sup> वेतनमान में लेवल-12) से पुनरीक्षित होकर 8700 (लेवल-13) हुआ था। जिसके बाद कार्यालय द्वारा उक्त तिथि से लेवल-13 में इनका वेतन निर्धारण किया गया (7वे वेतनमान में)। परंतु इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई वह 01.01.2018 को दी गई जो कि उपरोक्त नियम के अनुसार 01.07.2018 को दी जानी चाहिए थी। क्योंकि यह एक वित्तीय उन्नयन था।

उपरोक्त की वजह से ही इनको वर्ष 2018 के बाद के वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ (01.01.2019 एवं 01.01.2020 को) समय से पहले दी गई, जो कि 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को दी जानी चाहिए थीं।

उक्त अधिकारियों में से 03 अधिकारियों के भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इन तीन अधिकारियों (योगेश्वर प्रसाद जोशी,श्री उपेन्द्र

सिंह रावत एवं श्री राजेंद्र प्रसाद जोशी) को अधिक भुगतान किये गए वेतन एवं भत्तो की गणना की गई। जिसके आधार पर पाया गया कि उक्त तीनों अधिकारियों को अलग-अलग क्रमशः **योगेश्वर प्रसाद जोशी को ₹76668, श्री उपेन्द्र सिंह रावत को ₹83388 एवं श्री राजेंद्र प्रसाद जोशी को ₹76668** धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।

शेष 08 अधिकारियों (श्री भुवन चन्द्र पन्त/अधिकासी अभियन्ता, श्री दिनेश चन्द्र वर्मा/सहायक अभियन्ता, श्री विनोद प्रसाद डोबरियाल/सहायक अभियन्ता, श्री सुदर्शन सिंह रावत/सहायक अभियन्ता, श्री सतवीर सिंह/अधिकासी अभियन्ता, श्री अलीम अखतर/अधिकासी अभियन्ता, श्री अनिरुध सिंह भण्डारी/अधिकासी अभियन्ता, श्री प्रभु लाल डोभाल/सहायक अभियन्ता) के भुगतान संबंधी सभी अभिलेख/साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसकी वजह से लेखापरीक्षा द्वारा यह गणना नहीं की जा सकी कि इन अधिकारियों क अलग-अलग कितनी धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

**योगम्बर सिंह रावत/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-** इनकी सेवापुस्तिका की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.12.2016 को इनकी पदोन्नति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर (लेवल-8 से लेवल-10 में) हुई थी। इसके बाद इन्होंने दिनांक 09.12.2016 को उक्त पद पर योगदान दिया और इसी तिथि से इनका लेवल-8 से लेवल-10 में वेतन निर्धारण किया गया। उक्त तिथि को कार्यालय द्वारा इनका जो वेतन निर्धारण किया गया वह लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। दिनांक 09.12.2016 को खंड/कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन 57800 निर्धारित किया गया जबकि लेखापरीक्षा की गणना अनुसार इस तिथि (09.12.2016) को इनका मूलवेतन 56100 होना चाहिए था।

उक्त की वजह से आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों 01.07.2017, 01.07.2018, 01.07.2019 को इनका जो मूलवेतन निर्धारित किया गया वह भी गलत निर्धारित किया गया। इन तिथियों को कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया- 01.07.2017 को= 59600, 01.07.2018 को= 61300, 01.07.2019 को= 63100 जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इन तिथियों को इनका निर्धारित मूलवेतन इस प्रकार होना चाहिए था- 01.07.2017 को= 57800, 01.07.2018 को= 59500, 01.07.2019 को= 61300।

चूंकि इनके भी भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख/साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसकी वजह से लेखापरीक्षा द्वारा यह गणना नहीं की जा सकी कि इनको कुल कितनी धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

उक्त सभी अधिकारियों के गलत वेतन निर्धारण के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया कि सभी अधिकारियों के वेतन निर्धारण को संशोधित कर

वसूली की कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड के उत्तर से स्वमं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अतः गलत वेतन निर्धारण के कारण उपरोक्त सभी अधिकारियों को अधिक भुगतान किये गए वेतन एवं भत्तो का प्रकरण (जिसमें से चार अधिकारियों को कुल धनराशि **₹480397 (₹243673+₹76668+₹83388+₹76668)** का अधिक भुगतान किया गया एवं शेष 09 अधिकारियों के भुगतान संबंधी सभी अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इनको अधिक भुगतान किए गए वेतन की गणना नहीं की जा सकी) उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



## भाग-II (ब)

**प्रस्तर -5 : विभागीय नियोजन एवं अनुश्रवण की कमी के कारण कार्यों का अपूर्ण रहना ।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र - प्रतापनगर के अंतर्गत राजखेत में पार्किंग निर्माण के कार्य (पहाड़ कटान) के कार्य हेतु रु 209.68 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (35/SE-8/2016-17 दिनांकित 31.12.2016) रु 145.14 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 30.12.2017 निर्धारित थी।

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0 नि0 वि0, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (माह जुलाई 2020) में पाया गया कि अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वी0 , टिहरी द्वारा उपरोक्त कार्य में देरी हेतु बिना अर्थदण्ड के 31.12.2019 तक की समयावृद्धि मांगी गयी (07.09.2019) थी जबकि अभिलेख के अनुसार उक्त कार्य पर कुल व्यय 50% से भी कम (रु 77.34 लाख )दिखाया गया था और कार्य प्रगति पर होना बताया गया था जिसे प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा परीक्षणोंपरांत इस तथ्य के साथ वापस कर दिया गया था कि “ कार्य में व्यवधान का कारण डम्पिंग ज़ोन समय पर उपलब्ध न होना, वर्षात में दो अवधि होना व ग्रामीणों द्वारा व्यवधान दर्शाया गया है जिसके कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण बिना अर्थदण्ड के साथ समयवृद्धि स्वीकृत किया जाना संभव नहीं प्रतीत होता।” अतः स्वीकृति के 04 वर्ष से भी अधिक समयोपरांत भी न तो कार्य पूर्ण किया जा सका और न ही अनुबंध का अंतिमीकरण किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड धौलदेवी में गुरुडाबाज से काने तक मोटर मार्ग (लंबाई 5 किमी) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति रु 286.00 लाख की प्रदान की थी (जनवरी 2016) एवं तकनीकी स्वीकृति आंशिक तौर पर रु 232.80 लाख की प्रदान की गई। उक्त कार्य पर रु 13.19 लाख व्यय के साथ 03 किमी में आंशिक रूप से कार्य पूर्ण किया गया जबकि 02 किमी का कार्य काफी लंबे समय से अपूर्ण एवं बंद था। प्रथम कार्य की ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि पहाड़ कटान से प्राप्त स्थान पर पार्किंग का निर्माण सड़क मार्ग के तल पर ही किया जाना था एवं ड्राईंग के अनुसार धारक दीवार की ऊंचाई 14 मी0 निर्मित की जानी थी, किन्तु अधीक्षण अभियंता, टिहरी द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि उक्त स्थल पर 14 मी 0 ऊंची दीवार का निर्माण किया जाना अव्यवहारिक है जिसके फलस्वरूप पार्किंग की पुनरीक्षित

डिजाइन को लिखा गया जो माह जनवरी 2018 में प्राप्त हुआ। पुनः पहाड़ कटान से उत्पन्न क्षमता से अधिक मलबे के निस्तारण हेतु कोई डम्पिंग जोन न होने एवं स्थानीय कास्तकारों द्वारा मलबा डालने के विरोध के कारण कार्य बाधित रहा। कार्य की अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया कि भूतल एवं प्रथम तल पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा मात्र प्रथम तल की एप्रोच एवं टायलेट का कार्य अवशेष है तथा कार्य पर वर्तमान तक कुल रु 112.20 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

द्वितीय कार्य हेतु अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण किए जाने हेतु ठेकेदार से विभिन्न स्तरों पर पत्राचार किया जा रहा है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि जनपद टिहरी के कार्य में अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि से एक माह पूर्व ही स्थल का निरीक्षण कर ड्राइंग में परिवर्तन एक डम्पिंग जोन उपलब्ध न होने का संज्ञान में लिया गया। जनवरी 2018 में पुनरीक्षित ड्राइंग प्राप्त होने के पश्चात भी पार्किंग का कार्य अपूर्ण है। जनपद अल्मोड़ा के कार्य में स्वतः स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जा रहा है।

अतः विभागीय नियोजन एवं अनुश्रवण की कमी के कारण मोटर मार्ग एवं पार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों से संज्ञान में लाया जाता है।

### **भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
43/2005-06	1	3
15/2008-09	-	-
31/2012-13	-	1
51/2015-16	-	1, 2
23/2017-18	1	1, 2, 3, 4
02/2018-19	1, 2	1
03/2019-20	1, 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'			
43/2005-06	1	3	अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई है।	शून्य	शून्य
15/2008-09	-	-			
31/2012-13	-	1			
51/2015-16	-	1, 2			
23/2017-18	1	1, 2, 3, 4			
02/2018-19	1, 2	1			
03/2019-20	1, 2	1			

### **भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

1. अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं: शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री हरिओम शर्मा	प्रमुख अभियंता	01.05.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (आर्थिक खण्ड-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2